



मसौदा विमान सुरक्षा नयिम, 2022

नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा मसौदा विमान सुरक्षा नयिम, 2022 को अधिसूचित किया गया है।

पृष्ठभूमि:

- मसौदा विमान सुरक्षा नयिम, 2022 विमान सुरक्षा नयिम, 2011 की जगह लेगा जो सितंबर 2020 में संसद द्वारा विमान संशोधन अधिनियम, 2020 पारित किये जाने के बाद आवश्यक हो गया था, जिसमें नागरिक उड्डयन और विमान दुर्घटना जाँच ब्यूरो के महानिदेशक के साथ BCAS को वैधानिक शक्तियाँ दी गई थीं।
- ये उन्हें जुरमाना लगाने की अनुमति देते हैं जो पहले केवल न्यायालयों द्वारा लगाए जा सकते थे। अधिनियम ने अधिकतम जुरमाना 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दिया।
- संयुक्त राष्ट्र की विमानन नगिरानी संस्था अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (ICAO) ने तीन नयिमों की वैधानिक शक्तियों के बिना काम करने पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद संसद में संशोधन की आवश्यकता पड़ी।

नयिम:

- **जुरमाना और नलिंबन:**
 - ये नयिम **नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (Bureau of Civil Aviation Security- BCAS)** को हवाई अड्डों और एयरलाइनों पर 50 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए (कंपनी के वसितार के आधार पर) का जुरमाना लगाने में सक्षम बनाएंगे **द्वि-सुरक्षा कार्यक्रम तैयार करने और लागू करने में वफिल रहते हैं या सुरक्षा संबंधी मंजूरी मांगे बिना संचालन शुरू करते हैं।**
 - BCAS नागरिक उड्डयन मंत्रालय (भारत) का एक संबद्ध कार्यालय है। यह भारत में नागरिक उड्डयन सुरक्षा हेतु नयिमक प्राधिकरण है।
 - **संबद्ध व्यक्तियों पर अपराध की प्रकृति के आधार पर 1 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए का दंडात्मक प्रावधान है।**
 - BCAS किसी भी **इकाई की हवाई अड्डा सुरक्षा मंजूरी और सुरक्षा कार्यक्रम को नलिंबति या रद्द करने में भी सक्षम होगा।**
- **साइबर सुरक्षा:**
 - **साइबर सुरक्षा** खतरों से निपटने के लिये नयिमों में **प्रत्येक इकाई को अपनी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी प्रणालियों को अनधिकृत उपयोग से बचाने तथा संवेदनशील विमानन सुरक्षा जानकारी के प्रकटीकरण पर रोक लगाने की भी आवश्यकता है।**
- **नज्जी सुरक्षा एजेंट:**
 - मसौदा नयिम अब हवाई अड्डों को "गैर-प्रमुख क्षेत्रों" में **केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (Central Industrial Security Force- CISF) के कर्मियों के बजाय नज्जी सुरक्षा एजेंटों को नियुक्त करने और राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति, 2016 की सफारिश के अनुसार सुरक्षा कर्तव्यों को सौंपने के लिये अधिकृत करते हैं।**

अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (International Civil Aviation Organisation- ICAO):

- यह **संयुक्त राष्ट्र (United Nations-UN)** की एक विशिष्ट एजेंसी है, जिसे **वर्ष 1944 में स्थापित किया गया था**, जिसने शांतपूरण वैश्विक हवाई नेविगेशन के लिये मानकों और प्रक्रियाओं की नींव रखी।
 - अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संबंधी अभिसमय/कन्वेंशन पर **7 दिसंबर, 1944 को शिकागो में हस्ताक्षर किये गए।** इसलिये इसे शिकागो कन्वेंशन भी कहते हैं।
 - शिकागो कन्वेंशन ने वायु मार्ग के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय परविहन की अनुमति देने वाले प्रमुख संधिधार्तों की स्थापना की और ICAO के निर्माण का भी नेतृत्व किया।
- इसका एक उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय हवाई परविहन की योजना एवं विकास को बढ़ावा देना है ताकि दुनिया भर में अंतरराष्ट्रीय नागरिक विमानन की सुरक्षति तथा व्यवस्थति वृद्धि सुनिश्चित हो सके।
- **भारत इसके 193 सदस्यों में से है।**
- इसका मुख्यालय **मॉन्ट्रियल, कनाडा में है।**

स्रोत: द हद्रि

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/draft-aircraft-security-rules,-2022>

